

# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}  
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर  
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

अनीषा बनाम राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर  
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट मुकदमा नम्बर 187/2025  
निर्णय दिनांक :-26.06.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी स्वयं के पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 1 एफ सी, पटवार हल्का मुकन ए, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 64/70 में क्रम संख्या 1 पर अंकित नाम अनिता के स्थान पर अनीषा दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 26.06.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}  
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	---
योग	02	00	योग	00	00

{श्योराम (आर.ए.एस.)}  
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)  
दिनांक: 26.06.2025

क्रमांक: रीडर/ 2025/430

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।



{श्योराम (आर.ए.एस.)}  
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)